न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 411/2020/RAA जिला–नागौर

मोहम्मद असलम पुत्र हाजी उस्मान जाति मुसलमान निवासी ग्राम बासनी तहसील व जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. मो0 सरदार पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान मण्डल निवासी फुलपुरा मोहल्ला, बासनी तहसील व जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 27–10–2016
अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 232/2015
बउनवान मोहम्मद असलम बनाम मोहम्मद सरदार व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री समीर अहमद खाऩ अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 11–07–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत तहसीलदार, नागौर के प्रकरण संख्या 3344/74 सरकार बनाम सरदार पुत्र इब्राहिम में पारित नियमन आदेश दिनांक 28–4–1975 के विरूद्ध जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–10–2016 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिला कलक्टर नागौर क उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, नागौर के प्रकरण संख्या 3344/74 की पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 7–12–1974 व दिनांक 28–4–1975 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि खसरा नम्बर 263 व 275 का नियमन आदेश पारित किया गया है वह भूमि नगर पालिका नागौर की सीमा के अन्तर्गत आती है तथा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (5(ग)(घ) के तहत ऐसी भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है और उक्त प्रावधान गामीण क्षैत्र की भूमि के संबध में लागू होते है। तहसीलदार के प्रकरण संख्या 3344/74 की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मिथ्या, झूठे कथन कर अपने आपको भूमिहीन बतलाकर हल्का पटवारी से एक वर्ष की फर्जी टी.पी तैयार करवाकर उक्त नियमन आदेश पारित करवा लिया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तो भूमिहीन है और न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा ऐसी भूमि का नियम नही किया जा सकता था। फिर भी अवैध व विधिविरूद्ध तरीके से निमयन होने से राज्य सरकार की करोड़ों रूपये की भूमि को नियमन कर गलत आदेश पारित किया है जो अवैध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की उक्त भूमि के चिपते हुए खसरा नम्बर 273 व 274 की भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता की खातेदारी की थी प्रत्यर्थी संख्या 1 इस बहुमूल्य भूमि को हड़पना चाहता था। इसी आशय से प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने आपको भूमिहीन बतलाकर उक्त भूमि को अपने नाम नियमन करवा लिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 को भी ऐसी भूमि नियमन करने की कोई शक्तियां विधि में निहित नही है। फिर भी उक्त भूमि तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम बिना राज्य सरकार के कोष में राशि जमा कराये नियमन कर दी जो अवैध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 3 (।।।–ख) में भूमिहीन परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान का ऐसा निवासी जो सद्भावी कृषक या कृषि श्रमिक और भूमि को स्वयं जोतता है और उसके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि, कषि से संबंधित या कृषि जन्य व्यवसाय हो तथा ऐसा व्यक्ति राजस्थान राज्य में कहीं भी कोई कृषि जोत नहीं करता हो या उसके द्वारा धारित नही करता हो या उसके द्वारा धारित उसे आवंटित भूमि को सम्मिलित करने से नियम 12 के अधिन न्यूनतम क्षत्रफल से कम हो जबकि प्रत्यार्थी संख्या 1 के पिता के पास खसरा नं0 274 व 273 की कुल भूमि 13 बीघा 03 बिस्वा खातेदारी में दर्ज है। इसके बावजूद नियमन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त नियमन/आवंटन कार्यवाही में जानबूझकर तथ्यों को छिपाया तथा अपने आपको भूमिहीन बताया तथा

अपने आपको मै. बासनी सीमेन्ट पाईप इण्डस्ट्रीज फर्म का भागीदार होना बतलाकर दिनांक 8–8–1971 को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और ऐसी फर्म में अपने आपके फर्म का पार्टनर बताते हुए पार्टनरशीप डीड तैयार करता है और रजिस्ट्रार ऑफ कॉमर्स के समक्ष झूठे कथन करके वर्ष 1971 में अपने आपको फर्म मै0 बासनी सीमन्ट पाईप इण्डस्ट्रीज का भागीदार होना बताकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है जबकि नियमन के दिन प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस बात की जानकारी थी कि वह उक्त फर्म में अपने आपको फर्म का भागीदार बतला रहा है इसके बावजूद नियमन पत्रावली संख्या 3344/74 की कार्यवाही नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार नागौर की रिपोर्ट दिनाक 28–4–1975 में झूठी रिपोर्ट अंकित की गई है कि यह भूमि औद्योगिक क्षैत्र के बाहर है और सड़क से 50 फिट की दूरी पर है जबकि वास्तविक स्थिति नियमन आदेश के दिन ही इस भूमि के चिपते ही पूर्वी तरफ मै. बासनी सीमेन्ट पाईप इडस्ट्रीज की भूमि आयी हुई थी और इस भूमि के दक्षिणी तरफ सड़क छोड़कर सामने का सम्पूर्ण एरियॉ औद्योगिक क्षैत्र के लिए रीको नागौर के लिए आरक्षित एरिया था जिसको जानबूझकर तहसीलदार नागौर ने अपनी रिपोर्ट में छिपाया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नियमन हेतु न तो कोई आवेदन पत्र पेश किया न प्रारूप 3 के तहत कोई प्रार्थना पत्र पेश किया न आवेदन दर्ज किया न आमंत्रण हेतु उद्घोषणा जारी की गई न अवाप्ति विज्ञप्ति के नोटिस जारी किये गये और न ही राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 में उल्लेखित प्रावधानों की कोई पालना ही की गई और न ही जिला कलक्टर नागौर ने अपने निर्णय में उपरोक्त किसी भी आधार पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–10–2016 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि फर्म मै0 बासनी सीमेन्टपाईप इण्डस्ट्री बासनी प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता इब्राहिम की थी। उक्त फर्म के नाम दिनांक 23–10–1965 को नागौर का खसरा नम्बर 282 की 2 एकड भूमि राज्य सरकार ने आवंटित की थी। यह भूमि उद्योग के लिए उक्त इण्डस्ट्री को जरिये भागीदार लीज पर दी थी जिसकी लीज फर्म के नाम जरिये भागीदार ही सरकार द्वारा कराई गई थी। विवादित भूमि खसरा नम्बर 263, 275 सरकारी गैर मुमकिन खड्डा पहले रहा था उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित/नियमन कर दी गई थी जिसकी खातेदारी भी प्राप्त हो गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 का बतौर भूमिहीन काश्तकार के कब्जा काश्त रहने से विधि अनुसार खसरा नम्बर 263 की 1 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 275 की 18 बिस्वा भूमि को तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी नागौर ने दिनांक 7–12–1974 व 28–4–1975 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नियमन किया गया था। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 नियमों के तहत सरकारी भूमि कृषि हेतु आवंटन में शहर या गांव का कोई भेदभाव नहीं है।

वक्त नियमन विवादित भूमि नगर पालिका की सीमा के बाहर थी तथा पटवारी हलका ने भी अपने शपथ पूर्वक दिये गये बयानें में नियमन की जाने वाली भूमि नगर पालिका सीमा से बाहर होने तथा सार्वजनिक आपत्ति की नहीं होने का कथन किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का जीविकोपार्जन का मुख्य धन्धा खेती ही रहा था ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने पिता की क्रयशुदा भूमि पर काश्त की थी तथा पास में स्थित वादग्रस्त सरकारी भूमि पर भी काश्त की थी इसी वजह से प्रत्यर्थी संख्या 1 को अतिक्रमी माना व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में जवाब पेश करने पर तहसीलदार नागौर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि नियमन करने की सिफारिश कर आवंटन कमेटी के समक्ष पत्रावली भेजी जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण विधिक जांच व कार्यवाही कर ही प्रत्यर्थी संख्या 1 को नियमन का आदेश दिया था। अपीलार्थी ने फौजदारी एफ.आई.आर नम्बर 474/2007 पुलिस थाना नागौर की नाराजगी में यह झूठी कार्यवाही की है व दबाव बनाकर उक्त मुकदमा से मुक्ति पाना चाहता है। अपीलार्थी को पक्षकार बनकर कार्यवाही करने का कोई हक नहीं है। आवंटन कमेटी ने यह नियमन आदेश जारी किया था जो नियमानुसार सही है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजकीय परिपत्र दिनांक 31–4–1971 के तहत बतौर गैर खातेदार निशुल्क नियमन की गई है। साथ ही अपीलार्थी व्यथित पक्षकार नहीं है तथा उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा भारी मियाद बाद 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो संधारण योग्य नहीं था। साथ ही खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में 2006 (1)आर.आर. टी पेज 531 (एच.सी), 2018 (1) आर.आर.टी पेज 299, 2016–17 (सुप्री0) आर.आर. टी पेज 271, 304, 2016 (2) आर.आर.टी पेज 756 (एचसी) डीबी., 769 2009 आर. आर.डी पेज 177, 2018 (2) आरआरटी पेज 1007 व 2017 (2) आर.आर.टी पेज 972 की नजीरे प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा नागौर के खसरा नम्बर 263 की 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 275 की 18 बिस्वा भूमि पर पटवारी हल्का नागौर द्वारा अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का सम्वत 2027 से कब्जा होने का कथन किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता के पास 12.17 बीघा खातेदारी भूमि है तथा वह अपने पिता से अलग रहता है। उक्त भूमि के नियमन/आवंटन से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा काबिल काश्त भूमि है व नगर पालिका सीमा से बाहर है। पत्रावली में उपलब्ध बयानों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 भूमिहीन कृषक है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता के चार पुत्र तथा चार पुत्रिया थी मुस्लिम विधि में पिता के जीवनकाल में पिता की सम्पत्ति में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं होता है न ही वह हक के रूप में बंटवारा करवा सकता है और न ही बंट

प्राप्त कर सकता है। पिता के पास चाहे सम्पत्ति पैतृक हो या स्वअर्जित हो उसके जीवनकाल में पुत्र या पुत्री कोई हक बंट पाने का हकदार नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के साथ तहसीलदार, नागौर की आदेशिका दिनांक 28–4–75 के अनुसार सलाहकार समिति द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 सरदार पुत्र इब्राहिम को विवादित आराजियात राजकीय परिपत्र दिनांक 31–4–1971 के तहत बतौर गैर खातेदार निःशुल्क नियमन की गई है। आवंटन सलाहकार समति नागौर (उपखण्ड अधिकारी, नागौर) द्वारा दिनांक 28–4–1975 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार नियमन आदेश पारित किया है जो उचित है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर का आदेश दिनांक 27–10–2016 राजस्व प्रकरण संख्या 232/2015 बउनवान मोहम्मद असलम बनाम मो. सरदार व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर